न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–3, सोनभद्र

सत्र परीक्षण संख्या–73 सन् 2019 (मु0अ0सं0–35 / 2019),

राज्य बनाम सरवरी बेगम व अन्य

धारा–302 / 34 भा0दं0सं0

थाना–करमा, जनपद सोनभद्र

–:आदेश पत्रकः–

18.05.2022

सत्र परीक्षण पत्रावली आज प्रार्थना पत्र 9ख अन्तर्गत धारा–319 दं0प्र0सं0 पर आदेश हेतु नियत है।

प्रार्थना पत्र 09 ख वादी मुकदमा अंसार अली की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी के माध्यम से इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में उसने तीन अभियुक्तगण के विरूद्ध रिपोर्ट लिखवाई थी जिसमें अभियुक्ता सरवरी बेगम के पिता रसीद अहमद का भी नाम अंकित था। दौरान विवेचना उसने विवेचक को भी रसीद अहमद का नाम घटना में शामिल होना बताया था किन्तु विवेचक ने जान बूझ कर उसका नाम आरोप पत्र में नामित नहीं किया। मुकदमा परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होते हुए भी समस्त कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वादी ने दिनांक 20.09.2019 को अपनी मुख्य परीक्षा अंकित करायी है जिसमें स्पष्ट रूप से यह बयान दिया है कि सरवरी बेगम व पिता रसीद तथा सरवरी बेगम के बहनोई सद्दाम हुसैन ने मिलकर उसके भाई शमीम अहमद की हत्या की है। अतः रसीद अहमद को धारा–302 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत तलब कर अभियुक्तगण सरवरी बेगम एवं सद्दाम हुसैन के साथ परीक्षण किए जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन की ओर से प्रार्थना पत्र 9ख के समर्थन में निम्नलिखित विधि व्यवस्थायें प्रस्तुत की गयी हैंः–

1. वाई0 सरबा रेड्डी बनाम पुथूर रामी रेड्डी एवं एक अन्य, 2007 (2) सी0सी0एस0सी0 913 (एस0सी0)
2. लोक राम बनाम निहाल सिंह एवं एक अन्य, 2006 (2) सी0सी0एस0सी0 636 (एस0सी0) तथा
3. सुमन बनाम राजस्थान राज्य एवं एक अन्य, 2010 (1) सी0सी0एस0सी0 83 (एस0सी0)

सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन एवं परिशीलन किया तथा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं का ससम्मान अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहरीर प्रदर्श क–1 में वादी मुकदमा द्वारा कथन किया गया है कि उसके भाई शमीम अहमद की हत्या उसकी पत्नी सरवरी बेगम अपने पिता रसीद अहमद तथा बहनोई सद्दाम हुसैन के साथ मिलकर कर दी है। प्रस्तुत प्रकरण में आरोप पत्र सरवरी बेगम व सद्दाम हुसैन के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–302 / 34 भा0दं0सं0 प्रेषित किया गया है और उन्हीं दोनों का विचारण इस समय चल रहा है।

अभियोजन द्वारा प्रार्थना पत्र 9ख में कथन किया गया है कि पत्रावली पर इस बावत पर्याप्त साक्ष्य है कि रसीद अहमद द्वारा अभियुक्तगण का सहयोग वादी मुकदमा के भाई शमीम अहमद की हत्या में किया गया था और वादी मुकदमा द्वारा इस तथ्य का उल्लेख भी अपनी तहरीर में किया गया था।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान में वादी मुकदमा का साक्ष्य बहैसियत पी0डब्लू0–1 चल रहा है। अभियोजन के अभी तथ्य के साक्षी शेष हैं, अतः इस स्तर पर प्रार्थना पत्र 9ख अन्तर्गत धारा–319दं0प्र0सं0 का निस्तारण किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। **वादी मुकदमा उचित अवसर पर अपने प्रार्थना पत्र 9ख पर बल दे सकता है।**

पत्रावली वास्ते जिरह पी0डब्लू0–1 दिनांक 03.06.2022 को पेश हो।

दिनांकः 18.05.2022

(निहारिका चौहान),
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–3,
सोनभद्र